न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई)
अनुविभाग – पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

–।। ज्ञापन ।। –

क्रमांक / 621 /अ.वि.अ.(रा.) / वा.01 / 2025 पाली दिनांक 24.03.2025

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी वन
पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

विषयः– **पारित आदेशानुसार वृक्षों की कटाई कर परिवहन किए जाने बाबत्।**

संदर्भः– इस न्यायालय के रा.प्र.क्र.02 / अ–62 / 2024–25 में पारित आदेश दिनांक...................

––00––

संदर्भित आदेश का अवलोकन करें।

इस न्यायालय के रा.प्र.क्र.02 / अ–62 / 2024–25 में पारित आदेश दिनांक.................. की प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित् की गई है।

कृपया वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कण्डिका 8 में बने प्रावधान अनुसार वांछित 04 नग वृक्षों की कटाई एवं परिवहन उपरांत आवेदक को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्नः– 01.आदेश की छायाप्रति।
02.आवेदक के बैंकपासबुक की छायाप्रति।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी
अनुविभाग पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 622 /अ.वि.अ.(रा.) / वा.01 / 2025 पाली, दिनांक 24/03.2025

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला – कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
02. अपर कलेक्टर कटघोरा, जिला – कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
03. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी
अनुविभाग पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

f:\data from pali\sdm office pali\e court order sheet sdm pali\ordersheet a-62 sdm pali\02-gyapan a62.doc51

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग – पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सीमा पात्रे)

रा.प्र.क्र.02 / अ–62 / 2024–25

ग्राम–पोंड़ी, प.ह.नं.11
रा.नि.मं.–पोंड़ी, तह.–पाली
जिला – कोरबा (छ.ग.)

श्री रामप्रसाद कश्यप पिता स्व.श्री रामाधार जाति कुर्मी
निवासी ग्राम पोंड़ी, तहसील पाली जिला कोरबा (छ.ग.)..आवेदक

बनाम

छ.ग.शासन...अनावेदक

–:: आदेश ::–

पारित दिनांकः– 24/ 04 / 2025

आवेदक श्री रामप्रसाद कश्यप पिता स्व.श्री रामाधार जाति कुर्मी सा.पोंड़ी तहसील पाली जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा ग्राम पोंड़ी तहसील पाली जिला कोरबा (छ.ग.) स्थित उनकी भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 2083/2 रकबा 0.031 हे. पर उनके द्वारा लगाए गए 42 नग सागौन में से 04 नग सागौन के वृक्षों को आंधी–तूफान से गिर जाने के कारण उक्त 04 नग गिरे हुए वृक्षों को कटाई कर परिवहन किए जाने की अनुमति बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–34/सात–1/ 2021 दिनांक 11 फरवरी 2022 अनुसार वृक्ष कटाई हेतु "वृक्ष कटाई के नियम 2022" प्रभावशील किए गए हैं तथा उक्त नियम अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को वृक्ष कटाई की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज कर, आवेदन के संबंध में हल्का पटवारी एवं वनपाल पाली से संयुक्त जॉच प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा प्राप्त किया गया। संयुक्त दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, आवेदित भूमि आवेदक रामप्रसाद पिता स्व. रामाधार के नाम पर दर्ज है, उक्त भूमि पर सागौन के 42 वृक्ष लगे थे जिनमें से 4 नग सागौन वृक्ष गोलाई 74 से.मी., 82 से.मी., 94 से.मी., एवं 102 से.मी.आंधी तूफान में गिर चुके हैं, शेष 38 वृक्ष मौके पर खड़े हैं।

ऑनलाईन कम्प्यूटर अभिलेख के अवलोकन में पाया कि, ग्राम पोंड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 2083/2 रकबा 0.031 हे. आवेदक श्री रामप्रसाद कश्यप पिता स्व.श्री रामाधार जाति कुर्मी सा.पोंड़ी के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि के कैफियत में 42 नग सागौन वृक्षों की प्रविष्टि भी आवेदक के खाते में दर्ज है।

वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कण्डिका 8 में बने प्रावधान अनुसारः–

(1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमि स्वामी अपने खाते में

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमशः........02

कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा। कटाई से एक माह पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई का कारण, प्रजाति एवं संख्या स्पष्ट उल्लेखित करते हुए सूचना प्ररूप "च" में देना आवश्यक होगा। सूचना के साथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्वघोषणा– पत्र प्ररूप "छ" में देना होगा। भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं स्व–घोषणा का दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वृक्ष कटाई के पूर्व पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) भूमि स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना अधिक संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षा रोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएँगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

चूँकि हल्का पटवारी एवं वनपाल पाली द्वारा स्थल एवं अभिलेखों का मिलान कर पुष्टि की गई है कि आवेदित वृक्ष आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर आवेदक द्वारा रोपित वृक्ष है, आवेदक को छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 240 के नियम 8 में बने प्रावधान अनुसार आवेदित 04 नग वृक्षों को काटे जाने की अनुमति इस शर्त पर प्रदाय की जाती है कि, आवेदक वृक्ष कटाई से संबंधित प्रचलित विधिक प्रावधान/नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिये कटिबद्ध रहेंगे। कभी भी विधिक प्रावधान/ नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो आदेश शून्य माना जायेगा।

एतद् अनुसार आदेश आज दिनांक 24/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से पारित एवं घोषित।

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला –कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 628 /अ.वि.अ.(रा.)/वा.01/2025 पाली, दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. नायब तहसीलदार पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आवेदक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला –कोरबा (छ.ग.)